[illegible] 11548/05 - [illegible]

झारखण्ड सरकार,
निबंधन विभाग।

प्रेषक,

दीपेन्द्रमणि ठाकुर
सहायक निबंधन महानिरीक्षक,
निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सचिव,
[illegible]
[illegible], राँची, पुरुलिया रोड
[illegible]
[illegible] राँची [illegible]

राँची, दिनांक 22.5.13

विषय:- स्मृति-पत्र एवं नियमावली की अभिप्रमाणित प्रति निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन के आलोक में निबंधित संस्था के स्मृति-पत्र एवं नियमावली की छायाप्रति की अभिप्रमाणित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु० - यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(दीपेन्द्रमणि ठाकुर)
सहायक निबंधन महानिरीक्षक
निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची

Cambridge School
Secretary Director

Principal
Cambridge School
Tatisilwai, Ranchi
Pin-835103

कमला नेहरू विद्या मन्दिर का स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम — कमला नेहरू विद्या मन्दिर

2. संस्था का निबंधित कार्यालय :

मकान संख्या	46	गली / रोड का नाम	राँची पुरूलिया राष्ट्रीय राजमार्ग
मोहल्ला	टाटीसिलवे	पोस्ट	टाटीसिलवे
थाना	टाटीसिलवे	ग्राम	टाटीसिलवे
जिला	राँची		

(जो लागू न हो उसे काट दें)

3. कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण भारत

4. आस्तियां एवं दायित्व — यह संस्था अविभाजित बिहार राज्य में कमला नेहरू विद्या मन्दिर नाम से निबन्धित संस्था जिनका निबन्धन संख्या 130, वर्ष 83–84 के आस्तियों एवं दायित्वों को ग्रहण करती है।

5. संस्था का उद्देश्य — (उद्देश्य संक्षिप्त, स्पष्ट एवं विशिष्ट हो)

संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान एवं दातव्य कार्य है।

1 क शिक्षा :– शिक्षा के विकास, प्रचार एवं प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना यथा स्कूल, कॉलेज तथा नियमानुसार विश्वविद्यालय की स्थापना करना।

ख निजी तकनीकि संस्थानों की समस्याओं के समाधान हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना।

ग देश में शिक्षा के विकास हेतु नियमानुसार काम करना।

2. कृषि :–

क कृषि के विकास हेतु नियमानुसार काम करना।

3 दातव्य :–

क यह संस्था एक दातव्य स्वयंसेवी संस्थान होगा।

ख समाज में पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता प्रदान करना।

Cambridge School
Secretary Director

Principal
Cambridge School
Tatisilwai, Ranchi
Pin-835103

6. कार्यकारिणी व्यक्तियों की सूची एवं विवरण :-

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत उस संस्थान के निबंधन के आकांक्षी हैं :-

क0	पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता मकान सं0/होल्डिंग नं0 गली/रोड सं0 – मुहल्ला – पोस्ट – थाना – ग्राम/शहर – जिला – (मकान अपना है या किराये का है अंकित करें) दूरभाष संख्या	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटा
01.	श्री अशोक सिंह पिता : श्री चंदरपाल सिंह	म0 सं0 123, मोहल्ला – गाँधी नगर, राँची।	36	M. Sc.	नौकरी	अध्यक्ष	
02.	डॉ0 बहादुर सिंह पिता : स्व0 बिन्देश्वर सिंह	ग्राम टाटीसिलवे, पो0 टाटीसिलवे, थाना टाटीसिलवे जिला राँची	65	M. A., Ph. D.	अवकाशप्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता	महामंत्री	

All Signed in front

ATTESTED

Cambridge School
Secretary Director

Cambridge School
Tatisilwai, Ranchi
Pin-835103

(14)

7. आकांक्षी व्यक्तियों की सूची एवं विवरण –

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत उस संस्थान के निबंधन के आकांक्षी हैं :–

क्र0	पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता मकान सं0/होल्डिंग नं0 गली/रोड सं0 – मुहल्ला – पोस्ट – थाना – ग्राम/शहर – जिला – (मकान अपना है या किराये का है अंकित करें) दूरभाष संख्या	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो
01.	श्री अशोक सिंह पिता : श्री चंदरपाल सिंह	म0 सं0 123, मोहल्ला – गाँधी नगर, राँची।	36	M. Sc.	नौकरी	अध्यक्ष	
02.	डॉ0 बहादुर सिंह पिता : स्व0 बिन्देश्वर सिंह	ग्राम टाटीसिलवे, पो0 टाटीसिलवे, थाना टाटीसिलवे, जिला राँची	65	M. A., Ph. D.	अवकाशप्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता	महामंत्री	Dr. Bahadur Singh

THE SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION, JHARKHAND

ATTESTED

Dr. BAHADUR SINGH
GENERAL SECRETARY

Cambridge School
Secretary Director

Principal
Cambridge School
Tatisilwai, Ranchi
Pin-835103

03.	मानकी शिवनारायण शाही पिता : मानकी शत्रुघ्न शाही	ग्राम टाटीसिलवे, पो0 टाटीसिलवे, थाना टाटीसिलवे, जिला राँची	40	M. A.	सामाजिक कार्यकर्ता	संयुक्त सचिव	
04.	श्रीमती सुनीता नाथ पति : श्री मनीष नाथ	175, न्यू ए0 जी0 कॉलोनी, हरमू, कडरू, राँची।	35	M.Sc.	नौकरी	सदस्य	
05.	श्री रणधीर चौहान पिता : स्व0 भैया चन्द्रकिशोर नाथ शाहदेव	राजा बगान, काँके रोड, राँची।	34	B. Com	व्यवसाय	कोषाध्यक्ष	

THE SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION
महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय
झारखण्ड
JHARKHAND

ATTESTED

DR. BAHADUR SINGH
GENERAL SECRETARY
KAMLA NEHRU VIDYA MANDIR
TATISILWAI, RANCHI

Cambridge School
Secretary **Director**

Principal
Cambridge School
Tatisilwai, Ranchi
Pin-835103

06.	श्री प्रदीप कुमार सेन पिता : श्री नीमाई सेन	द्वारा : आशु भाटिया सुखदेव नगर, रातु रोड, पो० – हेहल, राँची – 5.	50	B.Com, I.C.W.A. (Inter)	नौकरी	सदस्य	
07.	प्रो० प्रदीप कुमार सरकार पिता : स्व० डॉ० राम पदो सरकार	दीवार भवन, 3rd स्ट्रीट, अनन्तपुर, पो० – डोरण्डा, राँची –8340002	50	B. Tech.	नौकरी	सदस्य	

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्ति जिनका फोटो ऊपर चिपका है तथा हस्ताक्षर ऊपर अंकित हैं, ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है।

All sign and photo

ATTESTED

राजपत्रित पदा० (राज्य अथवा केन्द्रीय) डाक्टर्स / इन्जीनियर्स / नोटरी / विद्यालय / महाविद्यालय के प्राचार्य / बैंक या इन्श्योरेन्स ऑफिसर्स / पब्लिक सेक्टर के पदाधिकारी आदि (नाम, पदनाम एवं मुहरयुक्त हस्ताक्षर)

NOTARY PUBLIC - RANCHI

DR. BAHADUR SINGH
GENERAL SECRETARY

यह सूची अभिप्रमाणित की गई है

Cambridge School
Secretary Director

Principal
Cambridge School
Tatisilwai, Ranchi
Pin-835103

कमला नेहरू विद्या मन्दिर
की
नियमावली

1. परिभाषा

(i) संस्था से अभिप्राय है — कमला नेहरू विद्या मन्दिर

(ii) समिति से अभिप्राय है — संस्था की कार्यकारिणी समिति

(iii) वित्तीय वर्ष से अभिप्राय है — 1 अप्रील से 31 मार्च

(iv) आमसभा से अभिप्राय है – संस्था के सभी सदस्यों से बनी सभा

(v) पदाधिकारी से अभिप्राय है — चेयरमैन, भाईस चेयरमैन, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष

(vi) अधिनियम से अभिप्राय है — संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860

(vii) आस्तियां एवं दायित्व :– यह संस्था अविभाजित बिहार राज्य में कमला नेहरू विद्या मन्दिर नाम से निबन्धित संस्था जिनका निबन्धन संख्या 130, वर्ष 83–84 है, के आस्तियों एवं दायित्वों को ग्रहण करती है।

2 संस्था की सदस्यता की शर्तें :–

I. साधारण सदस्य :–

क कोई भी व्यक्ति जो एसोसिएशन को 11/– रूपये प्रति माह या 132/– रूपया प्रतिवर्ष देता हो संस्था का साधारण सदस्य होगा।

ख सदस्यता शुल्क के साथ उस व्यक्ति को सचिव के नाम आवेदन देना होगा। सचिव आवेदन को कार्यकारणी की बैठक में प्रस्तुत करेगा। बैठक में निर्णय के बाद सदस्यता की सूचना प्रदान की जायगी।

II आजीवन सदस्य :–

क. कोई भी व्यक्ति जो संस्था को 1000/– रूपया एक साथ या बारह किस्तों में भुगतान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

ख आजीवन सदस्यों को भी साधारण सदस्य का वार्षिक शुल्क 12/– रूपया प्रतिवर्ष देय होगा

03. संस्था की सदस्यता की समाप्ति –

क किसी भी सदस्य की सदस्यता की समाप्ति का अथवा जारी रखने का पूर्ण अधिकार कार्यकारिणी समिति को होगा।

Cambridge School
Secretary Director

...Secretary...

Principal
Cambridge School
Tatisilwai, Ranchi
Pin-835103

ख. कार्यकारिणी द्वारा निम्नांकित कारणों से सदस्यता समाप्त की जायगी।

a. यदि किसी व्यक्ति वैसे कार्यकलापों में लिप्त हो जिसे संस्था की मर्यादा पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित होता है।

b. यदि कोई सदस्य ऐसे कार्यकलापों में अर्न्तलिप्त हो जिसे संस्था की बदनामी होती हो।

c. यदि सदस्य सदस्यता शुल्क समय पर 2 वर्षों तक जमा नही करता है।

d. यदि कोई व्यक्ति पागल करार किया गया हो।

e. यदि कार्यकारणी समिति का 2/3 सदस्य निर्णय करता है कि किसी सदस्य की सदस्यता की समाप्ति संस्था के हित में आवश्यक है।

04 कार्यकारिणी समिति का गठन –

(i) संस्था की कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारीयों सहित कुल 7 सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा।

(ii) चुनाव आम सभा द्वारा किया जायगा।

(iii) केजवल भेकेन्सी को शेष काल के लिए आम सभा द्वारा भरा जायगा।

05. कार्यकारिणी समिति का कार्य एवं अधिकार –

(i) संस्था के सभी कार्यों का प्रबन्धन एवं सचालन।

(ii) संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति स्थान्तरण, अवकाश तथा अनुशासनात्मक कार्य

(iii) संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति का बिकी, बन्धक, लीज, दान करना

(iv) संस्था के उद्देश्यों का कार्यान्वन तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक खर्च करना।

(v) दान, चंदा, कर्ज, अनुदान आदि के माध्यम से धन जमा करना।

(vi) आवश्यक खर्च की मंजूरी।

(vii) वैसे सभी विधिसंगत कार्यों का निष्पादन जो संस्था के हित में हो।

06 पदाधिकारियों का कार्य एवं अधिकार

1. चेयरमैन –

a. संस्था का प्रधान होगा।

Cambridge School
Secretary Director

Principal
Cambridge School
Tatisilwai, Ranchi.
Pin-835103

b. आम सभा तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

c. चुनाव में समान मत पड़ने पर कास्टिंग वोट दे सकेगा।

d. 10,000/– रूपया तक का व्यय खुद कर सकेगा परन्तु कार्यकारिणी की अगली बैठक में अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

e. आपातकालिन बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

2. भाईस चेयरमैन :– चेयरमैन की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करेगा तथा चेयरमैन के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

3. महासचिव :–

(i) संस्था का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा।

(ii) संस्था की सम्पति, व्यवस्था, कार्यक्रम विभिन्न संस्थानों तथा वित्त का मैनेजर एवं प्रशासक होगा।

(iii) सभी प्रकार के कागजातो की पूरी जिम्मेवारी होगी।

(iv) किसी भी कर्मचारी का नियुक्ति पत्र, बर्खास्तगी पत्र तथा निलम्बन पत्र निर्गत करेगा।

(v) किसी भी संस्थान अथवा व्यक्ति के साथ अनुबन्ध में संस्था की ओर से हस्ताक्षर करेगा।

(vi) कार्यकारिणी एवं आम सभा की साधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

(vii) 5000/– रूपया तक का व्यय कर सकेगा परन्तु कार्यकारिणी की अगली बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4. संयुक्त सचिव :–

(i) सचिव की अनुपस्थिति में सचिव का काम करेगा।

(ii) वैसा सभी काम करेगा जिसके लिए सचिव द्वारा समय–समय पर निर्देश दिया जायगा।

5. कोषाध्यक्ष

(i) संस्था के आय व्यय संबन्धी सभी प्रकार के कागजातो की रखवाली करेगा।

(ii) बैंक एकाउन्ट में संयुक्त हस्ताक्षर करेगा।

Cambridge School
Secretary Director

Principal
Cambridge School
Tatisilwai, Ranchi
Pin-835103

(iii) संस्था का आय व्यय को प्रतिवर्ष चार्टर एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण करायेगा।

(iv) बजट तैयार करना तथा अनुमोदन हेतु कार्यकारिणी एवं आम सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

06. आमसभा का कार्य एवं अधिकार

i. पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी के सदस्य का निर्वाचन
ii. संस्थान की योजना, बजट, अंकेक्षित लेखा एवं प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना
iii. संस्था की लेखा के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना
iv. संस्था के स्मृतिपत्र एवं नियमावली में संशोधन लाना
v. संस्था के विघटन पर निर्णय लेना

07. आमसभा की बैठकें :–

(क) आमसभा की वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

(ख) आमसभा के 1/3 सदस्यों के लिखित मांग, जिसमें अधियाचना करने वाले सदस्यों का हस्ताक्षर एवं बैठक में विचारणीय बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख रहेगा, पर आधियाचना प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर संस्था के सचिव को आमसभा की बैठक बुलानी होगी। यदि तीस दिनों के भीतर सचिव द्वारा बैठक नहीं बुलाई जायेगी तब, अधियाचना करने वाले सदस्यों को आधिकार होगा कि वे आमसभा के सभी सदस्यों को सूचना भेजकर आमसभा की आधियाचित बैठक अधियाचना में अंकित विषय पर निर्णय ले सकते हैं।

(ग) कोरम – आमसभा की सभी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक होगा (50%+1)

(घ) बैठक की सूचना

(i) आम सभा की सभी बैठकों के लिए सूचना बैठक की तिथि से कम से कम सात दिनों पूर्व दी जायगी।

(ii) बैठक की सूचना निबंधित डाक या सूचनाबही में हस्ताक्षर प्राप्त करके दी जायेगी।

08. कार्यकारिणी समिति की बैठकें :–

क. कार्यकारिणी समिति की बैठक साल में चार बार होगी।

ख. एक तिहाई सदस्य के उपस्थित रहने से बैठक का कोरम पूरा होगा।

ग. महामंत्री द्वारा नियमानुसार कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई जा सकती है।

Cambridge School
Secretary Director

DR. BAHADUR SINGH
GENERAL SECRETARY
KAMLA NEHRU VIDYA MANDIR
TATISILWAI, RANCHI

Principal
Cambridge School
Tatisilwai, Ranchi
Pin-835103

घ. प्रत्येक बैठक के लिए सात दिन पूर्व कार्यसूची के साथ आवश्यक सूचना सदस्यों को भेजी जायगी।

ड. असाधारण बैठक अध्यक्ष द्वारा तीन दिनों की सूचना देकर बुलाई जायगी।

09. आय का श्रोत :—

i. सदस्यता शुल्क ii. अनुदान
iii. देश तथा विदेश से विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थानों तथा व्यक्तियों से अनुदान एवं कर्ज

10. कोष की व्यवस्था / बैंक खाते का संचालन :—

(क) संस्था को प्राप्त होने वाली सभी राशियाँ संस्था के नाम किसी बैंक / डाकघर में खुले खाते में रखी जाएगी तथा किसी भी रकम की निकासी संस्था के कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से की जाएगी।

11. अंकेक्षण :—

(क) संस्था की लेखा का संधारण नियमित रूप से रखा जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से उसका अंकेक्षण कराया जाएगा।

(ख) निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची जब भी चाहें संस्था की लेखा का अंकेक्षण किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते हैं, जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

12. संशोधन :— संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में कोई भी संशोधन संस्था की आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा तथा संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की संगत धारा एवं झारखण्ड संस्था नियमावली के संगत नियम का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

13. पंजी का निरीक्षण :— संस्था की सभी पंजियाँ संस्था के निबंधित कार्यालय में सचिव के जिम्मे रहेंगी जहाँ कोई भी सदस्य / सरकारी अधिकारी सचिव की पूर्वानुमति से उनका निरीक्षण कर सकते हैं।

14. कानूनी कार्रवाई :— संस्था द्वारा या संस्था के विरूद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई संस्था सचिव के पदनाम से होगी।

15. संस्था का विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था :—

(i) यदि किसी कारणवश संस्था का विघटन करने की आवश्यकता कार्यकारिणी समिति द्वारा समझी जाएगी तब कार्यकारिणी समिति तत्संबंधी प्रस्ताव पारित कर उसे आमसभा की विशेष बैठक में रखेगा। आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से ही संस्था के विघटन पर निर्णय लिया जाएगा तथा उसे पुन आमसभा की दूसरी विशेष बैठक के 3/5 बहुमत से सम्पुष्ट कराने के बाद ही संस्था विघटित होगी।

THE SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION JHARKHAND
निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय झारखण्ड

BAHADUR SINGH
GENERAL SECRETARY

Cambridge School
Secretary Director

Principal
Cambridge School
Tatisilwai, Ranchi
Pin-835103

(ii) विघटन के बाद संस्था के सभी दायित्वों के सामंजन के बाद संस्था की जो भी सम्पति शेष रहेगी, वह संस्था के किसी सदस्य या वाह्य व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, बल्कि आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से समान उद्देश्य वाली झारखण्ड राज्य में निबंधित किसी संस्था या झारखण्ड सरकार को दे दी जाएगी।

(iii) संस्था के विघटन के समय संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की धारा–13 एवं 14 पूर्णतः पालन किया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह "कमला नेहरू विद्या मन्दिर" नामक संस्था की नियमावली की सच्ची प्रति है।

कोषाध्यक्ष
Treasurer
Kamla Nehru Vidya Mandir
Tatisilwai, Ranchi

महासचिव
DR BAHADUR SINGH
GENERAL SECRETARY
KAMLA NEHRU VIDYA MANDIR
TATISILWAI, RANCHI

अध्यक्ष

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।
कृते निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड

Cambridge School
Secretary Director

Principal
Cambridge School
Tatisilwai, Ranchi
Pin-835103

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

THE SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION * JHARKHAND *
मुहर महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय झारखण्ड

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।
वास्ते निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड

Cambridge School
Secretary Director

Principal
Cambridge School
Tatisilwai, Ranchi
Pin-835103

№ 003103

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 283

वर्ष 2007- 2008

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि कमला नेहरू विद्या मंदिर

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख चार मास जून वर्ष दो हजार आठ को राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

नोट –
विभाजित बिहार में निबन्धित संस्था का नाम – कमला नेहरू विद्या मंदिर
विभाजित बिहार का निबंधन संख्या – 130 / 83-84

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।

गोवर्नमेंट प्रेस, राँची ।

Cambridge School
Secretary Director

Principal
Cambridge School
Tatisilwai, Ranchi
Pin-835103

पत्रांक........560........

दाखिल करने का प्रमाण–पत्र

निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय

झारखण्ड, राँची

[illegible]

दिनांक 05-6-07

प्रमाणित किया जाता है कि 1860 के सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आज निम्नांकित दस्तावेज सम्यक रूप से दाखिल / निबंधित / अभिलिखित किया गया है / किये गये हैं।

1. निबंधन शुल्क–50 / –रूपया मात्र
2. आम सभा का प्रस्ताव।
3. स्मृति–पत्र
4. नियमावली

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सचिव / अध्यक्ष,

[illegible]

[illegible]

आपके पत्र के आलोक में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संलग्न है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक

Cambridge School

Secretary Director

Principal
Cambridge School
Tatisilwai, Ranchi

स्थायी लेखा संख्या /PERMANENT ACCOUNT NUMBER

AAATK4136F

नाम /NAME

KAMLA NEHRU VIDYA MANDIR

निगमन/बनने की तिथि /DATE OF INCORPORATION/FORMATION

21-07-1983

NBhagat

आयकर आयुक्त, रांची

COMMISSIONER OF INCOME TAX RANCHI

[illegible]
GENERAL SECRETARY
[illegible]
TATISILWAI RANCHI

Cambridge School

Secretary Director

Principal
Cambridge School
Tatisilwai, Ranchi
Pin-835103